तैयारी. डीएम ने सभी बीडीओ को दिये आवश्यक निर्देश

विधानसभा चुनाव में धन-बल के उपयोग पर लगेगा अंकुश

प्रतिनिधि ▷ औरंगाबाद शहर

इस विधानसभा चुनाव में पैसों के खेल पर प्रशासन पूरी तरह नकेल कसेगा. इस दिशा में अभी से ही कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. इसके लिए पूरे जिले में व्यय निर्वाचन स्थान चिह्नित किये जा रहे हैं. ये वैसे स्थान हैं, जहां पूर्व के चुनावों में धनबल का उपयोग हुआ है. मगर इस बार विधानसभा चुनाव में धनबल के उपयोग पर पूर्णतः अंकुश लगाया जायेगा. डीएम कार्यालय में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में भी इससे संबंधित निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिये गये हैं. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में निर्वाचन व्यय से संबंधित संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों व संवेदनशील पंकिटों को चिह्नित किया जा रहा है. डीएम ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र के संक्षिप्त विवरण, सामाजिक समीकरण व पिछले घटनाक्रम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की संवेदनशीलता का निर्धारण किया जायेगा. व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र

के रूप में वही स्थल चिह्नित किये जायेंगे, जहां किसी राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों ने खर्च सीमा से अत्यधिक व्यय व भ्रष्ट परिपाटी को अपनाये जाने की संभावना होगी. इसी तरह साक्षरता, अधिक विकास या पिछले चुनावों में प्राप्त शिकायत आदि के आधार पर व्यय संवेदनशील पॉकिट की पहचान की जायेगी. इन स्थलों को चिह्नित करते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन मांगा गया है. इधर, उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने बताया कि दो दिन पूर्व समीक्षा बैठक में सभी बीडीओ से शीघ्र व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र को चिह्नित करते हुए प्रतिवेदन मांगा है, ताकि आयोग के निर्देशानुसार धनबल पर शिकंजा कसने से संबंधित आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

धन-बल पर काबू पाना अब भी चुनौतीपूर्ण : पूर्व में चुनावों में बाहुबल का खूब उपयोग होता था. बूथ कैप्चरिंग व लूट जैसी घटनाएं होती थी. इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग की पहल और प्रशासन के प्रयासों से बाहुबल को नियंत्रित करने में काफी हद तक कामयाबी मिली है. लेकिन, चुनावों को प्रभावित करने के लिए होनेवाले धनबल के प्रयोग को अब भी कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चुनौती बना है. चुनाव के दौरान वोटरों को आकर्षित करने के लिए निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक धन खर्च किये जाते हैं.

तीन भागों में बांटे गये हैं व्यय निर्वाचन क्षेत्र : धनबल पर लगाम लगाने के लिए चिह्नित किये जाने वाले व्यय निर्वाचन क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में इसे तीन भागों में विभक्त किया गया है. पहला अतिसंवेदनशील, दूसरा संवेदनशील तथा तीसरा कम संवेदनशील. जिले में पूर्व की घटनाओं, सामाजिक समीकरण व परिस्थिति को देखते हुए व्यय निर्वाचन क्षेत्र चिह्नित किये जायेंगे. हालांकि यह प्रत्याशी की छवि पर भी निर्भर करता है.

पूर्व के चुनावों में सामने आये हैं ऐसे मामले

पूर्व के चुनावों में धनबल के प्रयोग से संबंधित मामले सामने आये हैं. प्रत्याशियों के करीबी वोटरों के बीच पैसे बांटे जाने से लेकर होटल में मोटा पैसा रखने की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई भी हुई थी . पूर्व के विधानसभा व लोकसभा समेत अन्य चुनावों में भी इस तरह के मामले उजागर हुए हैं . पूर्व की इन्हीं घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने अभी से ही धनबल के प्रयोग पर पूरी तरह शिकंजा कसने के उद्देश्य से कार्रवाई शुरू कर दी है.